

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठारीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

133/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2023/362

वादी

बनाम

प्रतिवादी

शेरसिंह मीणा पुत्र छुटनलाल मीणा

1.पानीदेवी पत्नी धेवरराम

जाति मीणा निवारी पालड़ी गढ़

2.सवाईराम पुत्र धेवरराम

खेड़ा,करोली जिला करोली

जाति भील निवारी जानियाना

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

3.राजस्थान सरकार जरिए

तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता वादी

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 28.01.2026

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 466/328 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 21.1.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का वाई मिट्स एण्ड वाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद

मीणा जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 466/328 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर

भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	वरंग
1	शेरसिंह मीणा पुत्र छुटनलाल मीणा हि. पूर्ण जाति मीणा सा. पालड़ी गढ़ खेड़ा खातेदार	जानियाना	466/328	0.2698	वा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2	पानीदेवी पत्नि घेवरराम हि 1/4 सवाईराज पुत्र घेवरराम हि. 1/4 फरसाराज पुत्र उदारराम हि. 1/2 कौम भील सा. देह खातेदार	जानियाना	466/328	0.5396	बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
---	--	----------	---------	--------	--------	---------------------------

तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

Asul
(अशोक कुमार) 28/01/2026
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

Asul 28/01/2026
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा



गूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एरा.

राजस्व वाद संख्या :-

133/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2023/362

वादी

बनाम

प्रतिवादी

शेरसिंह मीणा पुत्र छुटनलाल मीणा
जाति मीणा निवासी पालड़ी गढ खेड़ा,
करोली जिला करोली

1.पानीदेवी पत्नी धेवरराम
2.सवाईराम पुत्र धेवरराम
जाति भील निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर : 133/2023

निर्णय दिनांक :-28.1.2026

वादी की ओर से श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.1.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	---	जोड़	---




 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा